न्यायालयः राकेश कुमार–तृतीय
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सुपौल।
अग्रिम जमानत आवेदन सं0–969/2025
सुपौल थाना कांड संख्या–187/25

	1. सदानन्द शर्मा 2. फुलेश्वर शर्मा 3. चानो शर्मा, तीनों पे0–स्व0 सीताराम शर्मा **4. सकली देवी पति सीताराम शर्मा 5. ममता देवी पति फुलेश्वर शर्मा** **6. फुलो देवी पति चानो शर्मा 7. अनिता देवी पति सदानंद शर्मा** **8. संजन देवी पति गोविंद शर्मा** **सभी सा0– पलासपुर (बैरो) वार्ड नं0 13, थाना व जिला–सुपौल.....आवेदकगण** **बनाम्** **बिहार सरकार.....विपक्षी** _____	
02/04/26	उपरोक्त प्रार्थी अभियुक्तगण की ओर से सुपौल थाना कांड सं0 187/25 में अपनी गिरफ्तारी की आशंका दिखाते हुए अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है जिसकी एक प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को प्राप्त करायी गयी है। वाद पुकार किया गया। पुकार पर उभय पक्ष उपस्थित हुए। प्रार्थी अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन दाखिल कर निवेदन किया गया है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रार्थी अभियुक्तगण सकली देवी, ममता देवी, फुलो देवी, अनिता देवी एवं संजन देवी का कांड में संलिप्तता अनुसंधान के क्रम में नहीं पाये जाने के कारण उक्त अभियुक्तगण को अनुत्प्रेषित दिखाते हुए अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है। वर्तमान में उक्त अभियुक्तगण का गिरफतारी की आशंका नहीं है। अतः उनका नाम इस अग्रिम जमानत आवेदन से विलोपित कर दिया जाय तथा शेष अन्य अभियुक्तगण के जमानत के बिंदु पर सुनवाई कर आदेश पारित किया जाय। विद्वान अपर लोक अभियोजक, बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा नाम विलोपित करने की प्रार्थना का विरोध नहीं करते है। अतः बचाव पक्ष की प्रार्थना को स्वीकृत करते हुए उपरोक्त पांचों अभियुक्तगण सकली देवी, ममता देवी, फुलो देवी, अनिता देवी एवं संजन देवी का नाम इस अग्रिम जमानत आवेदन से विलोपित किया जाता है। अब इस अग्रिम जमानत आवेदन में कुल तीन अभियुक्तगण सदानन्द शर्मा, फुलेश्वर शर्मा, चानो शर्मा की सुनवाई की जायेगी। उभय पक्ष को सुना। प्रार्थी अभियुक्तगण सदानन्द शर्मा, फुलेश्वर शर्मा, चानो शर्मा की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री करूणाकांत झा के द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी अभियुक्तगण बिल्कुल निर्दोष हैं तथा उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण की ओर से इस जमानत आवेदन से पूर्व अन्य कोई जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण के विरुद्ध प्राथमिकी में लगाया गया आरोप मनगढ़न्त है एवं उन्हें ग्रामीण राजनीति एवं जमीन संबंधी विवाद के कारण झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण एवं सूचक के विरुद्ध जमीन संबंधी विवाद है एवं दोनों पक्षों के बीच काउंटर केस भी दर्ज है। प्रार्थी अभियुक्तगण 482(2) दं0प्र0सं0 के शर्तों को मानने एवं सक्षम जमानतदार देने एवं न्यायालय की हर शर्त मानने को तैयार है। अतः विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान करने का निवेदन करते है। विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री अबू जफर द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का है। अतः उन्हें अग्रिम जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित नहीं है। प्रस्तुत वाद सूचक चलितर शर्मा के लिखित आवेदन के आधार पर प्रार्थी अभियुक्तों सहित कुल 10 अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 126(2), 115(2), 118(1), 110, 76, 303(2), 352, 351(2), 3(5) BNS में दर्ज किया गया है। सूचक का संक्षेप में कथन है कि दिनांक 19/04/2025 दिन शनिवार के करीब 10.30 बजे सदानन्द शर्मा उसका छोटा भाई गोविन्द शर्मा कहने लगे तुम्हारे खेत होकर मिट्टी काटने के लिए हम अपने खेत में ट्रेक्टर ले जायेगे, हमें एक आदमी को मिट्टी देना है जिसपर सूचक ने कहा कि उनके खेत	**लगातार**

न्यायालयः राकेश कुमार–तृतीय
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सुपौल।
अग्रिम जमानत आवेदन सं0–969 / 2025
सुपौल थाना कांड संख्या–187 / 25

02/04/26 **लगातार**	में फसल लगी हुई है ट्रेक्टर नहीं जाने देंगे। उसी बात पर दोनों भाई कहने लगा कि जायेंगे तो उसी खेत होकर देखते है कौन रोकता है ऐसा बोलते हुए ट्रेक्टर को खेत में हेला दिया जिसपर सूचक विरोध किया तो दोनों भाई उसे मारने के लिए दौड़े तब सूचक जान बचाकर अपने घर की ओर भागा। तत्पश्चात् दोनों भाई का साथ देने के लिए फुलेश्वर शर्मा, चानो शर्मा, सदानन्द शर्मा का भतीजा, कुंदन कुमार, सकली देवी, ममता देवी, फुलो देवी, अनीता देवी, संजन देवी आ गये और सूचक के घर में घुसकर मारपीट और उपद्रव शुरू कर दिये। मर्दो ने बुरी तरीके से औरतों से मारपीट करने लगा तथा औरतों को जबरदस्ती जमीन पर गिराकर अश्लील हरकत करते हुए ब्लाउज, साड़ी फाड़ दिये जिससे चारो महिलायें मार के कारण बेहोश हो गयी। मुदालह लोग मारपीट में दबिया, फट्टा, लाठी का प्रयोग किये। सदानंद शर्मा ने दबिया से ममता देवी के माथा पर मारा जिससे काफी खून बहने लगा और बेहोश होकर गिर गयी। चारों औरतें काफी जख्मी हो गयी, मारपीट में मुदालह के साथ आयी महिलायें भी सक्रिय रूप से भाग लिया तथा घर का सामान वगैरह भी औरत मुदालह फेंकने लगी उसी दौरान महिला मुदालह ने समान को गायब कर दिया। समाज के लोगों ने कहा है कि पहले सबका ईलाज कराइयें। एक बूढ़े चलितर शर्मा को बड़ी बेरहमी से कमर और कमर के नीचे वाले भाग में बुरी तरीके से करीब 40–50 लाठी मारा गया। सभी जख्मियों को गाड़ी में लादकर अस्पताल लायें चूँकि पुलिस को घटना की जानकारी मिल गयी थी। इसलिए गांव में ही पुलिस ने कहा पहले इलाज कराइए। फुलेश्वर शर्मा घर में रखे एक ब्रिफकेस जिसमें महिलाओं का सामान गहना, जेवर और कुछ नगद भी था लेकर चला गया। हल्ला पर मारपीट से बचाने के अगल बगल से शंभु शर्मा और उनकी पत्नी माना देवी पति स्व0 नन्देलाल शर्मा, सोमी शर्मा और भी लोग आये। सूचक का कहना है कि मुदालह लोग काफी मनबढ़ू हैं तथा गांव के दबंग लोगों का इन्हें समर्थन प्राप्त है। सूचक का दावा है कि मुदालह लोग जान मारने के नीयत से घर में घुसकर मारपीट किये और औरत के ईज्जत के साथ गलत व्यवहार किया और सामान वगैरह भी लूटकर ले गये। सुना व अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद प्रार्थी अभियुक्तगण एवं अन्य के विरुद्ध सूचक एवं उनके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करने, उनके कीमती सामान छीनने एवं उनके परिवार के महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करने के आरोप में दर्ज कराया गया है। प्रस्तुत मामले में प्रार्थी अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी धारा 126(2), 115(2), 118(1), 110, 76, 303(2), 352, 351(2), 3(5) BNS के अंतर्गत संस्थित किया गया है। उक्त सभी धाराओं में अधिकतम 7 वर्षों तक के दण्ड का प्रावधान है। कांड दैनिकी के कंडिका 41 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी अभियुक्तगण को अनुसंधान के क्रम में धारा 35(3) BNS का लाभ देते हुए गिरफ्तार नहीं किया गया है। साथ ही कांड दैनिकी के कंडिका 45 से स्पष्ट है कि वाद में अनुसंधान पूर्ण कर आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। तत्पश्चात् विद्वान न्यायालय द्वारा प्रार्थी अभियुक्तों के विरूद्ध संज्ञान भी लिया जा चुका है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में एवं प्रार्थी अभियुक्तगण को अनुसंधान के क्रम में अनुसंधानकर्ता के द्वारा गिरफतार नहीं किये जाने के कारण अभियुक्तगण को यह निर्देश दिया जाता है कि वे विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर नियमित जमानत हेतु प्रार्थना करें तथा उक्त स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा **सतेन्दर कुमार अंतिल बनाम् केन्द्रीय अन्वेषण ब्युरों** वाद में माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा प्रतिपादित दिशा–निर्देशों के आलोक में विधि सम्मत् आदेश पारित करें। तद्नुसार प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन निस्तारित किया जाता है। लेखापित (राकेश कुमार–तृतीय) अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय सुपौल	